प्रेस विज्ञप्ति
11.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने **सौरभ शर्मा और अन्य** के मामले में 10.02.2025 को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना भोपाल एमपी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13(2) के साथ 13(1)(बी) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर सौरभ शर्मा, सेवानिवृत्त कांस्टेबल, परिवहन विभाग, भोपाल, एमपी के खिलाफ जांच शुरू की। उक्त एफआईआर से पता चला है कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधित फर्मों/कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा, एक अलग कार्रवाई में, सौरभ शर्मा के करीबी सहयोगी चेतन सिंह गौर के वाहन से आयकर विभाग, भोपाल द्वारा 52 किलोग्राम वजनी सोने की छड़ें और 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए।

ईडी की जांच के दौरान, इस मामले में 27.12.2024 और 17.01.2025 को सौरभ शर्मा, उनके परिवार के सदस्यों और शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर सहित उनके सहयोगियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, सौरभ शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों, विभिन्न फर्मों/कंपनियों के माध्यम से किए गए निवेश आदि से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। परिवार के सदस्यों/मित्रों/फर्मों आदि के नाम पर 25 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का निवेश पाया गया है। ईडी द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/फ्रीज़ की जा चुकी है।

जांच के दौरान पाया गया कि सौरभ शर्मा को 2015 में अनुकंपा के आधार पर मप्र राज्य परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि सौरभ शर्मा ने मप्र सरकार के आरटीओ में कांस्टेबल का पद प्राप्त करने के बाद आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल के साथ मिलीभगत करके उसने फर्म/कंपनियां स्थापित कीं और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल अपराध की आय को परिवार के सदस्यों/मित्रों/फर्मों/कंपनियों के नाम पर संपत्तियों में निवेश करने के लिए किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।